

समय का कार्यवाही मध्य इतिहासयत्न जारी

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

16-7-21

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य केन्द्र पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 27-7-21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

21-7-21

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थनागण उपस्थित
समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा
जा सका। वास्ते पत्रावली निर्णय हेतु नियत
दिनांक 5-8-21 को पेश हो।

5-8-21

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थनागण उपस्थित
समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा
जा सका। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु
नियत दिनांक 27-8-21 को पेश हो।

27/8/21

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अतः पत्रावली दिनांक 28-8-21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27-11-21

पत्रावली प्रशासन गौनों के संग अभियान 2021
कैम्प ग्राम पंचायत घोड़ास में पेश हुई, प्रार्थनागण
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। तहसीलदार
माण्डल द्वारा क्लरिफाट प्राप्त हुई जिसे शा. 0
पठ किया गया। निर्णय पृथक से लिखा
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
केवल शुमार होकर नम्बर से कम है।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गौनों के संग अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

क्रमा संख्या :- 166/20 प्रा.पत्र

श्री साहू 5/031 माधू जाट गिपासी-सारठा कारखेड़ा तहसील-मांडल (भीलवाड़ा)
--प्राथी

बनाम
श्री साहू 5/031 माधू जाट गिपासी-भालपुरा तहसील-मांडल (भीलवाड़ा)
--विपक्षीगण
(सुरक्षाकृत प्रा.पत्र संक्र.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 27.11.21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
आवेदन किया कि ग्राम सारठा कारखेड़ा पटवार हल्का दौड़ारा तहसील मांडल/में उसके
संयुक्त खातों की आराजी नं. 137, 169, 170 कुल कित्ता 03
रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी
दायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते
संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.9.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
ब्लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेश
नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
प्रदान के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सारठा कारखेड़ा
पटवार हल्का दौड़ारा तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 137, 169, 170
कुल कित्ता 03 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा
भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।
पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पी.शास को 950/- का
रकबा पर कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें।
कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
विन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने के लिए पत्थरगद्दी को
जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

सहायक

आज्ञा

सहायक

दि:

